कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर
NAAC द्वारा महाविद्यालय को 'A' ग्रेड प्रदत्त
Office Phone/Fax - 07582-223573 (R) Email - heggpgcsag@mp.gov.in

सागर दिनांक 12/12/2024

## आवश्यक सूचना

भारतीय लोक प्रशासन मध्यप्रदेश एवं छत्तीगढ़ क्षेत्रीय शाखा भोपाल द्वारा "अतीत तथा वर्तमान परिपेक्ष्य में भविष्य में शिक्षा का स्वरूप (The shape of education in the Context of post and present situation) विषय पर वार्षिक निबंध प्रतियोगिता 2024 आयोजित की जा रही है।

निबंध हिन्दी या अंग्रेजी में लिखकर 20 जनवरी 2025 तक मुख्य भवन के राजनीति विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष डॉ. सुनीता त्रिपाठी के पास जमा करें।

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | – | 4,000/– |
| द्वितीय पुरस्कार | – | 3,000/– |
| तृतीय पुरस्कार | – | 2,000/– |

नोट – विस्तृत जानकारी संलग्न पृष्ठों में दी गई है।

(डॉ. आनंद तिवारी)
प्राचार्य
शासकीय कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल—462004

क्रमांक 1930/545/आउशि/अकादमी/2024 भोपाल दिनांकः 30/11/2024

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/
निजी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश.

विषयः—भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता 2024 के आयोजन के सम्बंध में।

संदर्भः—भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश द्वारा प्रेषित पत्र कमांक 399/भालोप्रसं./2024, दिनांक 18 नवम्बर, 2024.

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा, भोपाल द्वारा "**अतीत तथा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में शिक्षा का स्वरूप**" (The shape of education in the context of past and present situation) विषय पर वार्षिक निबंध प्रतियोगिता 2024 आयोजित की जा रही है।

2/ आपके महाविद्याय में अध्ययनरत अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अपने विचार निबन्ध के रूप में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को प्रेषित किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। निबन्ध हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में प्रेषित किया जा सकता है। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए विषय संबंधी विचारणीय बिन्दु इस पत्र के साथ संलग्न किए जा रहे हैं।

3/ निबन्ध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी विद्यार्थी अपना स्वयं का पता एवं मोबाईल नम्बर, उनके द्वारा लिखित निबन्ध पर स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे।

4/ विद्यार्थियों के लिए निबन्ध प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2025 निर्धारित की गयी है। सम्बंधित महाविद्यालय द्वारा अपने सदस्यों अथवा विद्यार्थियों के निबन्ध एक साथ प्रेषित किए जाते हैं तो उन्हें दिनांक 06 फरवरी, 2025 तक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को प्राप्त हो जाना चाहिए। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त निबन्धों पर संस्थान द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

5/ निबन्ध भेजे जाने वाले लिफाफे पर **वार्षिक निबंध प्रतियोगिता 2024** अंकित करते हुए निबन्ध सचिव, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा, कमरा नं. जी—03, प्रशासन अकादमी 1100 क्वार्टरस, भोपाल—462016 के पते पर प्रेषित किया जाए।

उपरोक्त संबंध में अधिक जानकारी के लिए श्री डी.पी.तिवारी, मानसेवी सचिव, मोबाईल नम्बर 9425012607 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार
"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

28.11.24

( डॉ. एस.बी.सिंह )
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

आवक 1414 दि. 6.12.24

पृ. कनांक 1930/545/आउशि/अकादमी/2024, भोपाल, दिनांक 30/11/2024

प्रतिलिपि :—

1— निज सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2— स्टाफ आफीसर, प्रमख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
3— निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र., भोपाल।
4— श्री डी.पी.तिवारी, मानसेवी सचिव, लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा, भोपाल (iipa.mp.@gmail.com) ।
5— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी., उच्च शिक्षा, म.प्र.—

..कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28.11.24

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
मध्यप्रदेश क्षेत्रीय शाखा
कक्ष कमांक 3, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा, प्रशासन अकादमी,
1100 क्वार्टरस्, भोपाल 462016
INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
MADHYA PRADESH AND CHHATISGARH REGIONAL BRANCH
CHAMBER NO.3, R.C.V.P.NORONHA ACADEMY OF ADMINISTRATION,
1100 QUARTERS, BHOPAL 462016
PHONE NO. (0755) 2461095 E-mail : iipa.mp@gmail.com

---

## वार्षिक निबन्ध प्रतियोगिता 2024

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश क्षेत्रीय शाखा, भोपाल द्वारा निम्नलिखित विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है ।

**"अतीत तथा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में शिक्षा का स्वरूप**
**(The shape of education in future in the context of past and present situation)"**

निबन्ध कम से कम 1500 शब्दों का होना आवश्यक है । अधिकतम सीमा 3000 शब्दों की रहेगी । अधिक छोटे तथा अधिक लम्बे लेख प्रथम दृष्टि में ही अस्वीकार कर दिये जायेंगे । सर्वोत्तम निबन्ध के लिये पुरस्कार रू.4,000/– है । द्वितीय पुरस्कार रू.3000/– तथा तृतीय पुरस्कार रू.2000/– का है । इसके अतिरिक्त एक सान्त्वना पुरस्कार रू. 1,000/– का दिया जायेगा । इस प्रकार कुल पुरस्कार चार होंगे । निबन्ध किसी एक नाम से ही लिखा जाना चाहिए । दो अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर लिखे गये निबन्ध स्वीकार नहीं किये जायेंगे । निबन्ध हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में हो सकते हैं पर मौलिक होना चाहिए । उनमें इस बात का प्रमाण मिलना चाहिए कि लेखक ने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है । केवल इतिहास लिखने अथवा विवराणात्मक तथा एक पक्षीय निबन्ध से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । लेखक कृपया अपने महाविद्यालय तथा निवास का पता अवश्य लिखे । यदि मोबाईल हो तो उसका नम्बर भी लिखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क किया जा सके ।

2. सभी निबन्ध साफ–सुन्दर शब्दों में पृष्ठ के एक ही ओर लिखे अथवा मुद्रित होना चाहिए । प्रतियोगियों के लिये विषय प्रवेश में सहायता देने के लिये नीचे कुछ बिन्दू दिये गये हैं जो केवल सहायता के लिये हैं तथा प्रतियोगी अपने विचार व्यक्त करने में इससे अलग स्वरूप अपना सकते हैं –

## परिचयात्मक लेख

कोई भी प्रणाली एकदम नये सिरे से आरम्भ नहीं की जा सकती है । यह बात सब विचारों की तरह शिक्षा पर भी लागू होती है । शिक्षा सदैव से ही मनुष्य के साथ रही है । वह लिखित में हो अथवा मौखिक, अपने अनुभव, अपने विचार अन्य का बताये जाना नैसर्गिक प्रकिया है । यह शिक्षा जन्म के साथ ही आरम्भ होती है तथा मृत्यु पर्यन्त चलती रहती है । औपचारिक रूप से शिक्षा अतीत काल में गुरूकुल में होती थी जब बच्चों को गुरु के पास भेजा जाता था । घरों के पास के मंदिर भी बाद में शिक्षा केन्द्र बन गये और मुस्लिम काल में मदरसों में भी इस का केन्द्र रहा । अंग्रेजों ने नगरों में शालायें खोली जिनमें भाषा, गणित तथा अन्य विषयों की शिक्षा एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत दी जाने लगी । इसी का विस्तार बाद में ग्रामों में भी हुआ । यह पद्धति लगभग स्थायी रूप से अब तक चली आ रही है । छात्रों ने कितना सीखा, इसके लिये औपचारिक रूप से लिखित में परीक्षा लेने का चलन हुआ । परीक्षा पद्धति की बुराई के बारे में बहुत बात हुई पर इसका विकल्प तलाश करना कठिन कार्य रहा । प्रश्नों का रूप बदलकर विभिन्न उत्तरों में से सही उत्तर की पहचान की बात अपनाई गई । कुछ शिक्षाविदों का कहना है कि इससे अपने विचार व्यक्त करने की योग्यता में कमी आई । कुछ परीक्षाओं में दोनों पद्धतियों का सम्मिश्रण रहा । शिक्षा को सरल बनाने के लिये सेमेस्टर सिस्टम को भी अपनाया गया । संक्षेप में कई तरह के परीक्षण किये गये । 10+3, 10+2 और अब 5+3+3+4 । पूर्व की प्रणाली में एक कमी पाई गई कि एक विषय में पारंगत होने की नीति से छात्र समग्र दृष्टिकोण नहीं अपना पाता । इस कमी को दूर करने के लिये वर्ष 2022 में नई शिक्षा नीति अपनाई गई । एक शाखा से दूसरी शाखा में जाने के विकल्प का प्रावधान किया गया । इसके साथ ही यदि छात्र बीच में ही उच्च शिक्षा को छोड़ने पर मजबूर हो तो भी उसके द्वारा ग्रहित शिक्षा का प्रमाण–पत्र, डिप्लोमा देने का प्रावधान भी किया गया ।

इन सब परिवर्तनों को देखते हुए आप के विचार में शिक्षा को भविष्य में क्या रूप लेना होगा, इस पर आप के विचार आमंत्रित है जो आप अपने निबन्ध के माध्यम से व्यक्त करेंगे । इसमें व्यापक रूप से समस्त विभागों – माणविक विषय, विज्ञान, प्रबंधन, चिकित्सा के साथ–साथ नैतिकता, सहभागिता, कर्त्तव्यपरायणता पर विचार के अतिरिक्त विषयों से हटकर खेल, कला, साहित्य रचना इत्यादि पर भी विचार व्यक्त किये जा सकते हैं ।

3. भेजे जाने वाले लिफाफे पर "अतीत तथा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में शिक्षा का स्वरूप **(The shape of education in future in the context of past and present situation)"** अंकित किया जाना चाहिए । सभी निबन्ध सचिव, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश क्षेत्रीय शाखा, कमरा नं.जी–03, प्रशासन अकादमी, 1100 क्वार्टर्स

तिथि 31 जनवरी, 2025 रखी गई है । यदि किसी संस्था अथवा महाविद्यालय द्वारा अपने सदस्यों अथवा छात्रों के निबन्ध एक साथ भेजे जाते हैं तो वे 06 फरवरी, 2025 तक प्राप्त हो जाना चाहिए । नियत तिथि के बाद प्राप्त निबन्धों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

4. निबन्ध प्रतियोगिता मध्यप्रदेश राज्य के सभी प्रतियोगियों के लिये हैं । यह घोषणा करना होगा कि लेखक राज्य का निवासी है । महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं से अपेक्षित है कि वे अपने महाविद्यालय के नाम के साथ–साथ अपने निवास का पता भी अवश्य लिखें । निबन्धों का परीक्षण संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षकों के द्वारा किया जायेगा जिसका निर्णय संस्थान की कार्यकारिणी द्वारा लिया जायेगा । संस्थान को यह अधिकार होगा कि यदि कोई भी निबन्ध मान्य स्तर का नहीं है तो कोई पुरस्कार नहीं दिया जायेगा । साथ ही पुरस्कार की राशि को संयुक्त विजेताओं में बांटा जा सकता है । पुरस्कार प्राप्त निबन्ध संस्थान तथा लेखक की संयुक्त संपत्ति होगी । संस्थान द्वारा लिये गये सभी निर्णय बंधनकारी होंगे तथा उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकेगी । निबन्ध भेजने का अर्थ होगा कि यह प्रावधान निबन्ध भेजने वालों द्वारा मान्य है ।

( डी.पी.तिवारी )
मानसेवी सचिव
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
मध्यप्रदेश क्षेत्रीय शाखा
भोपाल (म.प्र.)